



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-03-02-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त बादशाह खान को चोरी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व कुल- 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 44/2023 धारा- 379, 411 भादवि व मु0अ0सं0- 45/2023 धारा- 379, 411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त बादशाह खान पुत्र अल्लाह खान निवासी 5-बीडीओ कालोनी चांदमारी थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को थाना-आदमपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 03-02-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 379,411 भादवि में माननीय न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी